



10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक

/ 2017 निगरानी II/निगरानी/अशोकनगर/2008/2017/4350

राजा भैया पुत्र श्री राजधर सिंह यादव
निवासी पाकरोड तहसील ईसागढ जिला
अशोकनगर म.प्र.

श्री. किशोरीबाई यादव
द्वारा आज दि. 09-11-2017
प्रस्तुत

तस्
ब्लॉक ऑफ कोर्ट 9-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

✓ Jm - Note -
को दि. 13-11-17

..... आवेदक

बनाम

1. मेहरबान सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव
निवासी सेमरखेडी तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर म.प्र.
2. मंगल सिंह पुत्र राजधर सिंह यादव
निवासी ग्राम पाकरोड तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय
नायब तहसीलदार वृत्त - 3 सारसखेडी तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 15अ6/ 2016-
17 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2017 के विरुद्ध निगरानी
प्रस्तुत है ।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-


1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959
का प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 से
भूमि ग्राम सेमरखेडी के सर्वे नं. 161/ 2 रकवा 0.339 हे. भूमि
दिनांक 24.5.2016 को जर्न रजिस्ट्री क्रय की थी। इस विक्रय पत्र

□

✓

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/4350

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला अशोकनगर</u></p>	